तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2026	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी विजय कोठारी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विक्रय इकरार के आधार पर आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थना पत्र पर विवेचन किये हुए तथा प्रार्थी के अधिवक्ता को बिना सुन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। हमने ने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी विक्रय इकरार के आधार पर अपने आपको हितबद्ध आवश्यक पक्षकार बताते है, जबकि इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी विक्रय इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाना मानते हुए प्रार्थी विजय कोठारी का आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है। दौहराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अवगत कराया की अपीलान्ट का आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र, अपील मेमों एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक अपीलान्ट कैलाश चौधरी के प्रार्थना पत्र	

धारा 96 जा.दी. का प्रश्न है, अपीलान्ट भी विक्रय इकरार के आधार पर अपील में आये है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय इकरार के आधार पर अपीलान्ट को राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाना मानते हुए अपीलान्ट कैलाश चौधरी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का खारिज किया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट को प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार नही पाते है तथा अपील इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

2.2.26.

(कीर्ति राठौड)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर